R- 1791-I/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

उमराव कोंदर तनय पलटू कोंदर
निवासी गढा थाना गुलगंज
हाल सेंहपुरा कलां जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. कुंजी तनय गनपत काछी
ग्राम सैपुरा तह. बिजावर जिला छतरपुर ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 105/अपील/09–10 पारित आदेश दिनांक 28/07/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सैपुरा स्थित भूमि खसरा क्र 5/2 रकवा 0.845 हे. एंव खसरा क्र 6/3 रकवा 0.433 हे भूमि का राजस्व अभिलेख में सुधार किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र निगरानीकर्ता द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत तहसीलदार बिजावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार बिजावर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बिजावर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक क्र 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध का मूल पट्टा प्रस्तुत किए जाने पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणदोषों पर आदेश पारित करें जिसके आधार पर तहसीलदार बिजावर द्वारा पुनः प्रकरण प्रांरभ कर दिनांक 29/6/10 को भूमि म.प्र.शासन दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1291-I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16.	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र.105/अपील/वर्ष 09–10 में पारित आदेश दिनांक 28/7/14 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 3– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम सैपुरा स्थित खसरा नंबर 5/2, 6/3 कुल रकवा 1.278 हे भूमि म0प्र0शासन मद में दर्ज भूमि है , आवेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने पर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के पट्टे की जांच किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–6–10 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को म0प्र0शासन में दर्ज किए जाने का आदेश किया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सनुवाई का अवसर प्रदाय किए बिना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 5– आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि	

अनावेदक द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही अभिलेख में उसका कोई पट्टा प्रदत्त किया गया हो ऐसी कोई प्रविष्टि है। अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा अनावेदक से मूल पट्टा प्राप्त होने पर गुण दोषों पर आदेश पारित करने हेतु पूर्व में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था तथा चूंकि अनावेदक द्वारा मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण तहसीलदार बिजावर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को म0प्र0शासन दर्ज किए जाने का विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।।

6— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमि नहीं है तथा उसका कोई भी हक नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा प्रकरण क्र 78/अपील/06—07 में पारित आदेश 31—1—09 के द्वारा प्रकरण अनावेदक को मूल पट्टा प्रस्तुत किए जाने के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था परंतु अनावेदक द्वारा ना ही मूल पट्टा प्रस्तुत किया गया और ना ही पट्टा प्राप्ति के आदेश की सत्यप्रतिपि। अनुविभागीय अधिकारी बिजावर की आदेश पात्रिका दिनांक 29—11—11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण आवेदक की उपस्थिति हेतु नियत था एंव आगामी तिथि 27—12—11 प्रदाय की गयी तथा इसी दिनांक को एकपक्षीय किए जाने का आदेश पारित किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है। अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा अपना आदेश मात्र इस आधार पर पारित किया है कि अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है परंतु उनके द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार शासकीय भूमि पर उसका नाम दर्ज किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार उपरांत मैं अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के आदेश को न्यायसंगत नहीं मानता हूँ।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकर कर अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/7/14 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिजावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/6/10 यथावत् रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य